भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 36
21 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: फसल विविधीकरण कार्यक्रम
***36. श्री राजा राम सिंहः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार में खेती के लिए पानी की कमी है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार के सूखा-प्रवण जिलों में फसल विविधीकरण के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या फसल विविधीकरण से संबंधित किसी कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार के सूखा-प्रवण जिलों के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं के लाभार्थियों की अनुमानित संख्या जिला-वार कितनी है; और
(ङ) क्या सरकार ने वर्तमान मौसम के दौरान खरीफ फसलों की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'फसल विविधीकरण कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 36 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार राज्य में निवल बुआई क्षेत्र 54.12 लाख हेक्टेयर था। इसमें से 35.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है। इसके अलावा, राज्य के 38 ज़िलों में से, इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च - सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फ़ॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर (क्रीडा) ने सूखे के प्रति संवेदनशील ज़िलों के रूप में 12 ज़िलों (नामतः बेगूसराय, भागलपुर, जमुई, कटिहार, किशनगंज, नालंदा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर और सीतामढ़ी) की पहचान की है।

भारत सरकार पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे हरित क्रांति वाले राज्यों में 'फसल विविधीकरण कार्यक्रम' (सीडीपी) कार्यान्वित कर रही है, ताकि पानी की अधिक खपत वाली धान की खेती के स्थान पर दूसरी फसलें उगाई जा सकें। तंबाकू उगाने वाले मुख्य क्षेत्रों में विविधता लाने के लिए, इस कार्यक्रम का विस्तार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल तक किया गया है। कृषि क्षेत्र के समग्र, सतत और विविधिकृत विकास के लिए सरकार राज्य के सूखा-प्रवण जिले सहित बिहार में कई अन्य स्कीमें भी कार्यान्वित कर रही है। इनमें 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' (एमआईडीएच) शामिल है, जिसका उदेश्य फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और अधिक कीमत वाली अन्य फसलों तथा संरक्षित खेती को बढ़ावा देकर बागवानी क्षेत्र का विकास करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएम) को अलग-अलग तरीकों जैसे कि बेहतर टेक्नोलॉजी और किस्मों का प्रदर्शन और किसानों को ट्रेनिंग देकर, कई तरह की खाद्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ–ऑयलसीड्स) को घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। इसके तहत क्लस्टर-आधारित फसल खेती, चावल/आलू की खेती के बाद खाली पड़ी ज़मीन पर खेती का क्षेत्र बढ़ाना, अच्छी क्वालिटी वाले ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज उपलब्ध कराना और कटाई के बाद तेल निकालने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जैसे कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को दलहन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। इसका उदेश्य दलहन का उत्पादन बढ़ाना, खेती का क्षेत्र बढ़ाना, मौसम के अनुकूल बीजों की किस्मों को बढ़ावा देना और फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान, कृषि और बागवानी से जुड़े अलग-अलग कार्यक्रमों के तहत बिहार को दी गई केंद्रीय सहायता में 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर' के तहत ₹112.46 करोड़; 'नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिशन' के तहत ₹180.114 करोड़; 'नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन (तिलहन)' और बाद में 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयलसीड्स' (जो वर्ष 2024-25 में शुरू हुआ) के तहत ₹18.59 करोड़; और 'नेशनल मिशन फ़ॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज़' (जो वर्ष 2025-26 में शुरू हुआ)

के तहत ₹16.25 करोड़ शामिल है। इन कार्यक्रमों के तहत ज़िलेवार डेटा और लाभार्थियों की संख्या का रिकॉर्ड केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ङ) फ़सलों की खरीद, राज्य सरकारों के साथ मिलकर 'फूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया' (एफसीआई) के माध्यम से 'खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग' द्वारा की जाती है। हर मार्केटिंग सीज़न शुरू होने से पहले, राज्य सरकार खरीद की योजना सौंपती है। राज्य सरकार से प्राप्त योजना पर राज्य के खाद्य सचिवों के साथ बैठक में चर्चा की जाती है, जिसके बाद राज्य सरकार/एफसीआई के लिए खरीद के लक्ष्य तय किए जाते हैं। पिछले दो वर्षों में, राज्यों/एफसीआई के माध्यम से 1114.38 एलएमटी चावल, 657.92 एलएमटी गेहूँ और 2.67 एलएमटी मोटे अनाज की खरीद की गई।

सरकार देश में राज्यों और किसानों को खरीद में मदद देने के लिए 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) के तहत 'मूल्य समर्थन स्कीम' (पीएसएस), 'भावांतर भुगतान स्कीम' (पीडीपीएस) और 'बाजार हस्तक्षेप स्कीम' (एमआईएस) कार्यान्वित कर रही है; यह एक मांग आधारित स्कीम है। पीएसएस स्कीम के तहत 'नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया' (नेफेड) और 'नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (एनसीसीएफ) पंजीकृत किसानों से सीधे तौर पर अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद करते हैं। वर्ष 2020-21 से 'प्राइस सपोर्ट स्कीम' के तहत एमएसपी पर 227.97 एलएमटी दलहन और तिलहनों की खरीद की गई है।
